

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
—::कार्यालय आदेश::—

का0आ0-15/बि0स0से-03-01/2016 सा0प्र0...../, पटना-15, दिनांक.....

बिहार विकास मिशन, पटना के पत्रांक 910 दिनांक 15.11.2017 द्वारा बिहार विकास मिशन, पटना में प्राधिकृत अभिकरणों के माध्यम से कर्मियों का चयन किये जाने हेतु दिनांक 05.12.2017 से 15 दिनों तक के लिए बिहार सचिवालय सेवा के 03 (तीन) सहायकों को प्रतिनियुक्त करने के अनुरोध के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 396 दिनांक 24.11.2017 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के 03 (तीन) सहायकों को दिनांक 05.12.2017 से 19.12.2017 तक बिहार विकास मिशन, पटना में प्रतिनियुक्त किया गया था। पुनः बिहार विकास मिशन, पटना के पत्रांक 987 दिनांक 13.12.2017 द्वारा बिहार विकास मिशन में Hiring of Manpower के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के लिए उक्त तीनों प्रतिनियुक्त बिहार सचिवालय सेवा के सहायकों को दिनांक 20.12.2017 से अगले 21 (एक्कीस) दिनों तक प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तार करने के अनुरोध के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय सेवा के निम्न 03 (तीन) सहायकों को दिनांक 20.12.2017 से 09.01.2018 तक बिहार विकास मिशन, पटना में प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित किया जाता है:-

क्रमांक	सचिवालय सहायक का नाम	विभाग
1	श्री ओम प्रकाश राम	नगर विकास एवं आवास विभाग
2	श्री अजय ब्रह्मानन्द	आपदा प्रबंधन विभाग
3	श्री विनोद प्रवीण	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

2) उक्त सभी सहायकों की प्रतिनियुक्ति दिनांक 09.01.2018 (अपराहन) से स्वतः समाप्त हो जायेगी। संबंधित सहायक दिनांक 10.01.2018 से अपने पूर्व पदस्थापित स्थान पर पूर्ववत् कार्य सम्पादित करेंगे।

ह0/-

(एम0एस0अंसारी)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-15/बि0स0से-03-01/2016 सा0प्र0...../, पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ आपदा प्रबंधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन, पटना को उनके पत्रांक 987 दिनांक 13.12.2017 के प्रसंग में एवं संबंधित सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से-03-01/2016 सा0प्र0.44.1./, पटना-15, दिनांक.20-12-17
प्रतिलिपि:- आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।